

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद ।

पत्रांक 1591/मु0वि0प्रा0/नि0अ0/2023-24

दिनांक 30/08/2023

प्रमारी सम्पत्ति/अधेशासी अभियन्ता-II

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद ।

महोदय,

कृपया ट्रांसपोर्ट नगर योजना अन्तर्गत गतिशक्ति नगर ब्लाक का तलपट मानचित्र में प्रस्तावित संशोधन को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28.08.2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। संशोधित/स्वीकृत मानचित्र की प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त ।


29/8/23
नगर नियोजक,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद ।

प्रतिलिपि:-

उपाध्यक्ष महोदय, मु0वि0प्रा0 को सादर अवलोकनार्थ ।

नगर नियोजक,

Welcome : Moradabad Development Authority

Project Registration

Promoter Details | Basic Details | Plan Details | Other Details | Development Works | Project Bank Details | Land Details | Upload Documents | Enter Quarterly Targets | View Filled Targets | Make Payment

Basic Details

Date OF Registration

04/09/2023

Project Type *

 New Ongoing

Project Category *

Commercial

Total area in round figure (Sq.mt.)*

43491

Project Name* (Advertised name of the project can be mentioned here.)

GATISHAKTI NAGAR (TRANSPORT NAGAR YOJNA)

Registration Fee (in Rs.)*

445000

State*

Uttar Pradesh

District *

Moradabad

Tehsil *

Moradabad

Sanctioning Competent Authority*

Moradabad Development Authority

Project Cost in round figures (In Lacs) *

17987

Geographic Location : (end points of scheme/ project)

Do you have exact coordinates ?

 Yes No

Latitude *

28.797413

Longitude *

78.762668

Search Agent

Enter Agent Name...

Search Promoter

Enter Promoter Name...

Select Agent From List *

- Not Applicable
- VIVEK SHARMA (UPRERAAGT16166)
- 360 DEGREE VENTURES PRIVATE LIMITED (UPRERAAGT18728)
- 360 PROP GUIDE LLP (UPRERAAGT20190)
- 360 REALTORS LLP (UPRERAAGT10868)
- 999 TECHNOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED (UPRERAAGT24832)
- 9BUY9 CONSULTANTS LLP (UPRERAAGT21783)

Select Multiple Promoters

- Promoter Id:UPRERAPRM23852
- MR Proview Realtech Private Limited Promoter Id:UPRERAPRM12058
- Mr. Ajay Singhal Promoter Id:UPRERAPRM13355
- Mr. Anuj Kumar Gupta Promoter Id:UPRERAPRM118084
- Mr. Bharat Mehrotra Promoter Id:UPRERAPRM251344
- Mr. Devendra Sharma Promoter Id:UPRERAPRM50590
- Mr. Manoj Kumar Shukla Promoter Id:UPRERAPRM113183
- Mr. Nitesh Mehrotra Promoter Id:UPRERAPRM251088



Hindi

खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : धीमरी परगना : (मुदाबाद) तहसील : मुदाबाद जनपद : मुदाबाद फसली वर्ष : 1423-1428 (01 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2021) भाग : 1 खता संख्या : 00387

खतदार का नाम / भिता प्रति संश्लोक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या

क्षेत्रफल
(हे.)

अदिया

दिप्पनी

श्रेणी 1-क / भूमि जो सरकारीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

विकास प्राधिकरण ट्रांस फोर्ट / ./.

नगर मुदाबाद / ./.

596भि	0.0320	
603	0.1700	
608	0.3560	
798भि	0.0650	
492भि	0.0400	
615/1	0.2460	
615/2	0.6560	
791/1	0.6470	
791/2	0.6070	
820भि	0.1130	
828	0.7250	
586अ	0.0120	
587क	0.0120	
574	0.1420	
623/4	0.1500	
649भि	0.0160	
650भि	0.0120	
651भि	0.0040	

652।।	0.0040
649।।	0.0160
650।।	0.0120
651।।	0.0040
652।।	0.0040
674/1।।	0.1130
588	0.0530
589	0.0450
590	0.1700
591	0.0450
592/1	0.0320
593	0.0530
594	0.0490
610	0.9100
776।।	0.0040
780	0.0200
781	0.0200
782	0.0200
783	0.0200
555।।	0.0930
643	0.0280
644	0.0200
645	0.0200
493	0.0450
497	0.0530
637	0.0120
638	0.0120
639	0.0320
640	0.0160

562१	0.0850
785	0.0890
786	0.0930
787	0.1170
789	0.0690
619/1	0.0890
623/1	0.1500
671/1	0.2000
611१	0.3400
723१	0.0280
724१	0.0320
616१	0.3360
614	0.1170
617	0.3360
624/1	0.1460
546१	0.0730
585१	0.0160
585१.	0.0080
586१	0.0120
587१	0.0120
719	0.0360
725	0.0610
726	0.0690
728	0.0240
729	0.0200
730	0.0120
609	0.0320
674/2१	0.1780
584१	0.2830

653	0.0570
654	0.0570
655	0.1340
656	0.1540
571	0.0570
552/1	0.1540
583/1	0.1250
583/2	0.1250
552/2	0.1540
570	0.2750
624/2	0.1500
671	0.2000
562	0.0650
788	0.0530
790	0.0570
792	0.0160
793	0.0120
794	0.0400
795	0.0200
573	0.1300
575	0.0610
565/2	0.2950
551/1	0.0610
663	0.0240
664	0.0280
665	0.0080
666	0.0280
667	0.0240
668	0.0240

669/1	0.0320
619/1.	0.0890
623/2	0.1500
567	0.1090
623/5	0.1460
601	0.0200
602	0.0490
604	0.0890
605	0.0320
797	0.1860
495	0.0810
496	0.0770
501/1	0.2100
502/1	0.0080
629	0.1540
630	0.3160
631	0.1780
714/1	0.2830
569	0.3280
625	0.1300
626	0.1540
627	0.1940
628	0.0970
621	0.6600
568	0.1090
572	0.1250
576/1	0.0400
622	0.4620
646	0.0120

673	0.4290
562	0.1050
559	0.1250
641	0.0280
642	0.0360
647	0.0650
648	0.0690
675/1	0.0400
649	0.0160
650	0.0120
651	0.0040
652	0.0040
649	0.0160
650	0.0120
651	0.0040
652	0.0040
649	0.0160
650	0.0080
651	0.0040
652	0.0080
674/1	0.1420
499	0.0240
500	0.0490
716	0.0650
720	0.0810
721	0.0160
722	0.0280
544	0.0320
571	0.0570

563१	0.1010
623/3	0.1500
585१.	0.0200
586१.	0.0360
587१.	0.0360
579१	0.2630
580	0.0770
618	0.0730
612	0.4290
613	0.4250
587१..	0.0160
657	0.2100
556१	0.2830
658	0.4450
659	0.0280
660	0.0280
661	0.0690
662	0.0730
715	0.1250
595	0.0770
584१.	0.2830
557	0.0770
632	0.0280
633	0.0240
634	0.0280
635	0.0200
636१	0.0080
636	0.0240
717	0.0480

718	0.0360
577₹	0.0040
498	0.0400
494/1	0.0400
560	0.0690
561	0.0610
582	0.1780
581	0.1500
551/2₹	0.0300
565/1	0.2950
663₹.	0.0240
664₹.	0.0280
665₹.	0.0040
666	0.0240
667₹.	0.0240
668₹.	0.0240
669/1.	0.0360
775₹	0.0040
777₹	0.0080
778	0.0400
779₹	0.0200
670/1₹	0.1700
611₹.	0.3400
616₹.	0.3360
723₹.	0.0280
724₹.	0.0280
796	0.0530
799₹	0.0240
800₹	0.0320

	803११	0.0400		
	606	0.0320		
	607	0.1050		
	563११.	0.1010		
	553११	0.0530		
	571११.,	0.1130		
	577११.	0.0040		
	788११.	0.0560		
	790११	0.0560		
	792११	0.0160		
	793११	0.0080		
	794११	0.0440		
	795११	0.0200		
	804११	0.0120		
	670/3	0.0930		
	769११	0.0120		
	770	0.0120		
	566	0.1420		
	620	0.0280		
	670/2११	0.1780		
	578/2११	1.2340		
योग	242	25.6130		

ग्राम

14

पंडित नगला

Pandit Nagla

संख्या-70

4.26 एम५

विस्तृत सं० ए० सं०-४

लाभकारी सं० अर्थ० सं०-४५

लाभकारी पोस्ट-ऑफिस प्रिनोप्टी

38



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विभागीय परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 20 जनवरी, 1988

पौष 30, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या 85 / 11-5-88-140-एल०ए००-87

लखनऊ, 20 जनवरी, 1988

अधिसूचना

पृ० अ० - 16

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन, 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात्, सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम पंडित नगला, परगना, तहसील व जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिए आवश्यकता है।

चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (1-क) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की, सुनियोजित विकास योजना के अधीन मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में संभावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी-निम्नलिखित में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 85/XI-5-88-140-L.A.-87, dated January 20, 1988:

No. 85/XI-5-88-140-L.A.-87

Dated Lucknow, January 20, 1988

UNDER sub-section(1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in Schedule below, is needed for a public purpose namely, for the establishment of Transport Nagar under planned development scheme in village Pandit Nagla, Pargana, Tehsil and district Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad.

2. The Governor being of the opinion that the provisions of sub-sections (1) and (1-A) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said land is urgently required, for the establishment of Transport Nagar under planned development scheme in district Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जित किये जाने वाले गाटे का क्षेत्रफल (एकड़ में)
District	Pargana and Tehsil	Village	Khasra no.	Area of plot to be acquired (in Acres)
1	2	3	4	5
मुरादाबाद	मुरादाबाद	पंडित नगला	229	0.39
Moradabad	Moradabad	Pandit Nagla	230	0.35
			231	1.00
			232 M	2.52
		योग		एकड़
		Total	4	4.26 Acres

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम पंडित नगला, परगना, तहसील व जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए आवश्यकता है।

For what purpose required—For the establishment of Transport Nagar under planned development scheme in village Pandit Nagla, Pargana, Tehsil and district Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad.

टिप्पणी—भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, मुरादाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Moradabad.

आज्ञा से,
एस० डी० बागला,
सचिव।

By order,
S. D. BAGLA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 1959 राजपत्र (हि०)—(3826)—1988—1830+25 (मेक०)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय-सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 12 अप्रैल, 1988

चैत्र 23, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-1471/11-5-88-140 एल ए-87

लखनऊ, 12 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

प० शा०--215

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या-85/11-5-88-140 एल ए-87, दिनांक 20 जनवरी, 1988 के क्रम में, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम पंचितनगला परगना, तहसील व जिला गुरादाबाद में गुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गुरादाबाद के कलेक्टर को निवेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

2--चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला धार्ययिक्त है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (1-क) के अधीन यह भी निवेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, गुरादाबाद के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कर्जा धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित रूपाना के प्रकाशन में पारब्रह्म विद्या के स्वरसाग पर कर राफ्त है।

नोट--पिछाया में उल्लिखित जमरतूची पांरोजी जगन्नाथ के साथ दी जा रही है।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1471/11-5-88-140 LA-87, dated April 12, 1988.

No. 1471/XI-5-88-140 LA-87

Lucknow Dated, April 12, 1988

In continuation of Government notification no. 85/11-5-88-140 LA-87 dated January 20, 1988 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the schedule below is needed for a public purpose, namely for the establishment of Transport Nagar under Planned Development Scheme in village Pandit Nagla, Pargana, Tehsil and district Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad and under section 7 of the said Act, to direct the Collector of Moradabad to take order for the Acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) and (1-A) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Moradabad though no award under section 11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from the publication of notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)
District	Pargana and Tehsil	Mauza	Plot no.	Approximate area in acre
1	2	3	4	5
मुरादाबाद	मुरादाबाद	पंडित नगला	229	0.39
Moradabad	Moradabad	Pandit Nagla	230	0.35
			231	1.00
			232 M	2.52
			योग 4	4.26
			Total 4	4.26

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम पंडित नगला, परगना, तहसील व जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिये आवश्यकता है।

For what purpose required - For the establishment of Transport Nagar under Planned Development Scheme in Village Pandit Nagla, Pargana, Tehsil and district Moradabad by Moradabad Development Authority, Moradabad.

टिप्पणी :- भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, मुरादाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

Note - A site Plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Moradabad.

ग्रामा से,
एस० डी० बागला
सचिव।

By order,
S. D. BAGLA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०-72 राजपत्र (हि०)-(109)-1988-1830-45 (मेक०)।

35

अभिनियम

- 1- जन्म का नाम- मुरादाबाद ।
- 2- परगना व तालुका- मुरादाबाद ।
- 3- ग्राम का नाम- पंक्ति नम्बर 4-26 एकर
- 4- जर्जन निकाय का नाम- मुरादाबाद जिला प्राधिकरण मुरादाबाद ।
- 5- जर्जन का प्रयोजन- जिला मुरादाबाद में आवासीय विस्तार हेतु भूमि का जर्जन दस्ता पोर्ट नगर ।
- 6- कानून नम्बर-17 लागू है- एा ।
- 7- विनियम धारा-4, 18 की संख्या दिनांक- अधिसूचना (85/11-5-88-140 एलओ) दिनांक 20-1-88 ।
- 8- विनियम धारा-6, 18 की संख्या एवं दिनांक- स्थानीय समाचार पत्र दैनिक गरज दिनांक 17-2-88
- 9- दब्बे का दिनांक- स्थानीय समाचार पत्र मधुर समाचार दिनांक 6-6-80
- 10- अभिनियम का दिनांक- अधिसूचना सं01471/11-5-88-140 एलओ-87 दिनांक 12-4-88
- 11- अनुमानित प्रतिकर की धनराशि- वाजरां भाव पर जर्जन निकाय द्वारा 80% धनराशि जमा कराई जा चुकी है ।
- 12- क्या भूमि भावदिक नामता है- हा
- 13- घोषित योग्य प्रतिकर की धनराशि रु. 60 पर धनराशि के आधार पर प्राग पंक्ति नम्बर 4-26 एकर
 - 1- कृषि दर से - राज्य
 - 2- अन्य दर से 83,693-87
 - 3- लोअरिअम 25,100-16

योग- 1,08,804-03

14- सम्पत्ति का मूल्यांकन-

बिन अधिकारी एवं अधिसूचना अभियन्ता सांठिनो विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अलग से जर्जन निकाय से धनराशि की मांग की जायेगी ।

15- पूंजीकरण मूल्य-

देय भू-राजस्व के 40 गुने के बराबर रूपये जर्जन निकाय से वसूल करके जमा करा दी जायेगी ।

16- लागत व्यय-

प्रतिकर की धनराशि पर 10% प्रक्रिया की दर से जर्जन निकाय से वसूल करके उचित मद में जमा कर दी जायेगी ।



2

17- व्याज की धारणा - धारा-23 के अन्तर्गत यदि आवश्यक हुआ तो 9 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा।।

अभियन्त्रिय का औचित्य

अभियन्त्रियक भू-उर्जन प्रस्ताव किार प्राधिकरण मुरादाबाद द्वारा धारा-17 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसे किस्ति धारा-17 का प्रकाशन दिनांक 20-4-00 एवं धारा-6 का प्रकाशन दिनांक 12-4-88 में हो चुका है। अभियन्त्रियक भूमि अधिनियम को धारा-9 का अन्तर्गत सम्बन्धित भू-स्वामियों को सामान्य विज्ञान नोटिस जारी किये गये नवीन स्थापित अधिनियम के अन्तर्गत दो दैर्घ्य सप्ताह पत्रों के अन्दर भी प्रकाशन कराया गया निर्धारित अवधि में सर्वश्री लियाकत हुसैन व अब्दुल कथूम या जे0एस0रस्तोगी, श्री सन्तलाल पुत्र एम चन्द ने आपत्ति प्रस्तुत की है श्री लियाकत हुसैन एवं अब्दुल कथूम ने आपत्तियों में कहा हैकि भूमि सम्बन्ध 231 रकत ई. 1000 एकड़ में दुकानों का निर्माण कार्य कर रहा है जिससे किट भविष्य में लगभग 10000-0000मासिक की आय हो सकती है तथा यह भूमि नम्बर मुरादाबाद चन्दोती रोड पर स्थित है और यह 250 रू0से 600 रू0तक बाजारी मूल्य की भूमि है अतः ऐसी स्थिति में या तो जमीन उर्जन से मुक्त हो जावे-अथवा 600 रू0 कर्मांतर के मूल्य दिये जाये । श्री जे0 एस0रस्तोगी ने भी अपनी भूमि संख्या 229 तथा 230में 600-00 प्रति वर्ग गार्ड की मांग की है जहाँ तक आपत्ति कर्ताओं का स्टाम्प ज्यूटी के आधार पर 250रूपये- 600-00 तक प्रतिवर्ष की मांग करने का प्रश्न हैइसे लिये भूमि अध्यापित अधिनियम में यहाँ तक कोई स्थापान नहीं हुआ हैदिनांक 7-3-87 द्वारा जारी शासनादेश पर अवश्य निर्देशित किया गया था कि भूमि का बाजारी मूल्य अंकने के लिये स्टाम्प ज्यूटी का ध्यान भी रखा जाये । किन्तु शासन द्वारा पत्र संख्या-7-183/89-55-राज3-दिनांक 14-5-90 द्वारा उक्त आदेश में 7-3-87 में दी गई व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है और यह व्यवस्था को गई है। कि भू-उर्जन अधिनियम 1894 यथा स्थापित की धारा-23 के प्राधिकरण के अनुसार अब भूमि उर्जन के प्रकरणों में प्रतिवर्ष का निर्धारण बाजारी मूल्य के अनुसार किया जाये अतः आपत्ति कर्ताओं का आपत्तियां निरस्त करते हुए उन्हें उनकी भूमि का मूल्य वैनागों के आधार पर प्रगणित करके दिया जाना न्याय कीत है। अतः आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त की जाती है ।

श्री सन्तलाल पुत्र एम चन्द ने अपनी भूमि संख्या 232 के सम्बन्ध में लिखा हैकि नोटिस से यह पता चला हैकि भूमि का कौन सा भाग उर्जन किया गया है तथा इस भूमि में से बाजारी मूल्य द्वारा तर्क निकाली गई है और इस के रेट 600-00 प्रति वर्ग गार्ड के चल रहे है

अतः यह भूमि प्राथमिक के हक में रिलीज कर दी जाये तथा 0-60 एकड़ वाले पूर्वी भाग को प्राथमिक के हक में रिलीज किया जाकर शेष 1-92 एकड़ भूमि का मुआवजा बाजारी मूल्य भाव पर दिया जावे । गाटा संख्या 232/1 क्षेत्रफल 2.52 जो सड़क गाटा सं 232/1 में के दोनो ओर स्थित है का धारा-4 का 6 का पठित धारा-17 के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी



विवरित

 सचिव

-वि:सि का प्रकाशन राजकीय गजट में हो चुका है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लूट के दोनो और अर्जित करने के तथ्य का समर्थन किया गया है। अतः तदनुसार आपत्ति निरस्त की जाती है।

भूमि के मूल्यांकन का कार्य धारा-13 के अन्तर्गत किया जाना है इस कार्य के लिये भूमि अध्याप्ति समीन को सब रजिस्टार कार्यालय भेज कर इस ग्राम में निष्पादित क्रियमत्रो का धारा-411 के दिनांक से। वर्ष पूर्व की अवधि में रु५ क्रियमत्रों की संज्ञान कराया गया इस अवधि में कु-6 क्रियमत्र प्राप्त हुए जिनका विवरण संज्ञान अनुसूची-2 पर अंकित है तथा ग्राम मानचित्र में भी यथा स्थान दर्शा दिया गया है।

संज्ञान सूची-2 के क्रमांक 3से 10, 12से 39 तथा 41से 58 तक के क्रियमत्र अर्जित की गई भूमि से काफी दूरी पर स्थित है तथा क्रियमत्र के क्रमांक 1, 2, 11, 40, 59, 60 पर अंकित क्रियमत्र अर्जित भूमि के निकट स्थित है।

संज्ञान अनुसूची -2 के क्रमांक 3से 10, 12से 39 तथा 41से 58 तथा 61, 62 पर अंकित क्रियमत्र अर्जित भूमि के काफी दूरी पर है अतः अर्जित भूमि का बाजारोभाव निकालना इन क्रियमत्रो के दृष्टाव से सम्भव नहीं है अतः अर्जित भूमि का बाजारो भाव निकालना असम्भव है। तदनुसार निरस्त किये जाते है।

अनुसूची-2 के क्रमांक 1, 11, 40, 59 तथा 1 अर्जित की जाने वाली भूमि के निकट अवस्थित हैं परन्तु इनके निष्पादन में बाजारो भाव का ध्यान नहीं रखा गया है जैसा कि उनके अस्तित्व दर्से भी प्रतीत होता है इनमें कोई बाजारो भाव से बहुत अधिक तथा कुछ में बाजारो भाव से कम में जारोदारी को गई है अतः यह सभी क्रियमत्र मूल्यांकन हेतु निरस्त किये जाते है।

अब मेरे समक्ष क्रमांक 60 पर अंकित क्रियमत्र विचारार्थ रोजा रह जाता है यह क्रियमत्र दिनांक 11-i-88 को मौ०शाहिद पुत्र गौ०याहिया ने न्यू मुरादाबाद बसास एकारी समिति मुरादाबाद को देना है। इसका किला जॉन दुमट -गा है तथा गाटा संख्या 1602161का 2-11 एरंड 21000-00 रु० में देया गई है। जिसको प्रति एरंड दर 19,646-45 पै० जाती है क्रियमत्र वाली यह भूमि अर्जित भूमि से विच्छेद मिली हुई है और दोनो में समानता है तथा उपरोक्ता साक्षि भी एक जैसी ही है। 80 प्रतिशत धारणा विवरण हेतु दर व भूगतान की स्विकृति के सम्य भी इसी क्रियमत्र को आधार मानकर स्विकृति जिलाधिकारी द्वारा दी गई थी। अतः इसी में क्रियमत्र के आधार पर अर्जित भूमि का मूल्यांकन प्रस्तावित करता हूँ। इस के अनुसार अर्जित भूमि और इस से प्रभावित किल्ला जमीन का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका भूमि योग्य क्षेत्र

किस जमीन परता	लोकल	दरप्रतिएरंड	प्रतिरु	
दुमट जक्का	9-87	4-26	19,646-45	83,693-87



-----4-----
सादर

भी कसूर है उन्हें
में सम्पत्ति

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार प्रतिकर की धनराशि पर 30 प्रतिशत की दर से लोकरिपम रुपये 25108-10 देते कसूर गण दो देय होगा अधोचित भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 के अनुसार धारा-4(1) के दिनांक से कबो के दिनांक तक 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिकर रुपये 10,729-55 भू-स्वामियों को देय होंगे। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 23 के अन्तगत भू-स्वामी कबो के दिनांक से अधिनियम की घोषणा के दिनांक अथवा प्रतिकर विलक्षण प्रथम दिनांक तक प्रथम 13(1) में 9 प्रतिशत तथा कबो बाद को 15 प्रतिशत की दर से व्याज पाने के पात्र होंगे। इस धनराशि को गणना, 9945-13 है जो कारतकार पाने के पात्र है। अधोचितियों को प्रतिकर का गणना हेतु कबो पर लिखा गया है परन्तु मूल्यांकन प्राप्त नही हो सका है। कबो पर धोषित होने को अन्तिम तिथि 5-6-90 है अतः जब उनके धोषित प्राप्त हो जायेगा तो वह धनराशि भाग उस अधिनियम में शामिल करके कारतकारों को देय होगी। भागत व्यय: 11955-16 प्रतिकर पर 10 प्रतिशत की दर से भागत व्यय अर्जन किया है कसूर करके उचित गण में जमा कर दिया जायेगा। पूंजाकरण मूल्य देय भू-राजस्व के 40 गुने के अन्तर्गत धनराशि रुपये 11955-16 अर्जन किया से कसूर करके जमा कर लिये जायेगे। अतः प्रस्तावित अधिनियम जिम्माधिकारी मधोव्य की स्वीकृती हेतु प्रेषित है। स्वाकृती के बाद भागत भू-स्वामियों को प्रतिकर की धनराशि फार्म पर अर्जित कर दी जायेगी।

दिनांक 26.5.90

र. र. गुप्ता 26/5/90
 धारोधारोगुप्ता
 क्रिषण भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
 गुरादाबाद।

आज दिनांक 4.6.90 को लुचे नत्पाकम
 में लक्षित कसूरों के लक्षण अधिनियम
 को कितना किया गया

Photocopy
attached

Jhansar
 District Head Aeg Office
 Microdatab
 14.6.91

र. र. गुप्ता
 4.6.90
 वि. प्रो. म. म. म. म. म.
 गुरादाबाद





लाइसेंस	विश्व
(लाइसेन्स व	विश्व विद्यालय
प्राधिकार	सं

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

कार्यालय आयुक्त

11 FEB 1988

पुरादाबाद

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 27 जनवरी, 1988
भाष 7, 1909 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग -5

संख्या 97/11-5-88-139 एल० ए०-87
लखनऊ, 27 जनवरी, 1988

अधिसूचना

प० आ० - 60

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं निचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम धीमरी, परगना व तहसील व जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा द्वान्दपोट नगर योजना की स्थापना के लिए आवश्यकता है।

चूंकि राज्यपाल का राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (क) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की, सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा द्वान्दपोट नगर की स्थापना के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में संभावित विलंब को निवर्जित किया जाय, अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबंध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी-विज्ञापित में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गई है :

R. S. 296-5. A
L. I. M. D. A

Handwritten notes and signatures:
 11/3/88
 MT
 VC
 M. S. A
 14/3/88

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.97/XI-5-88-139-LA-87, dated January 27, 1988:

No.97/XI-5-88-139-LA-87

Dated Lucknow, January 27, 1988

UNDER sub-section (1) of section 4 of the land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) the Governor is pleased to notify for General information that the land mentioned in Schedule below, is needed for public purpose namely, for the establishment of Transport Nagar Scheme in Village Dhimri, Pargana, Tehsil and district Moradabad under Planned Development Scheme by the Morarabah Development Authority, Moradabad.

THE Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) and (1-A) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said land is urgently required, for the establishment of Transport Nagar under Planned Development Scheme in district Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जित किये जाने वाले का क्षेत्रफल (एकड़ में)	गाट
District	Pargana and Tehsil	Village	Khasra Nos.	Area of plot to be acquired in Acres.	
1	2	3	4	5	
			492 मी०	0.10	
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	493	0.11	
Moradabad	Moradabad	Dhimri,	494	0.14	
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	495	0.20	
			496	0.19	
			497	0.13	
			498	0.10	
			499 मी०	0.06	
			500 मी०	0.12	
			501 मी०	0.52	
			544 मी०	0.88	
			546 मी०	0.18	
			551 मी०	0.15	
			552 मी०	0.76	
			553 मी०	0.13	
			555 मी०	0.23	
			556 मी०	0.70	
			557	0.19	
			558	0.18	
			559	0.31	
			560	0.17	
			561	0.15	
			562	0.63	
			563	0.50	
			565	1.46	
			566	0.35	

1	2	3	4	5
मुरादाबाद (क्रमशः)	मुरादाबाद (क्रमशः)	धीमरी (क्रमशः)	502 मी०	0.02
Moradabad (Contd.)	Moradabad (Contd.)	Dhimri, (Contd.)	567	0.27
			568	0.27
			569	0.81
			570	0.68
			571	0.56
			572	0.31
			573	0.32
			574	0.35
			575	0.15
			576 मी०	0.10
			577 मी०	0.02
			578 मी०	3.22
			579	0.65
			580	0.19
			581	0.37
			582	0.44
			583	0.62
			584	1.40
			585	0.11
			586	0.15
			587	0.19
			588	0.13
			589	0.11
			590	0.42
			591	0.11
			592	0.13
			593	0.13
			594	0.12
			595	0.12
			599 मी० ✓	0.19
			601	0.08
			602	0.05
			603	0.12 ✓
			604	0.42
			605	0.22
			606	0.08
			607	0.08
			608	0.26
			609	0.88
			610	0.08
			611	2.25
			612	1.69
			613	1.06
			614	1.05
			615	0.29
			616	2.23
			617	1.66
			618	0.83
			619	0.18
			620	0.44
			621	0.07
			622	1.63
			623	1.14
				1.84

1	2	3	4	5
मुरादाबाद	मुरादाबाद	धीमरी	624	0.73
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	625	0.32
Moradabad	Moradabad	Dhimri,	626	0.38
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	627	0.48
			628	0.24
			629	0.38
			630	0.78
			631	0.44
			632	0.07
			633	0.06
			634	0.07
			635	0.06
			636	0.08
			637	0.03
			638	0.03
			639	0.08
			640	0.04
			641	0.07
			642	0.09
			643	0.07
			644	0.05
			645	0.05
			646	0.03
			647	0.16
			648	0.17
			649	0.20
			650	0.14
			651	0.05
			652	0.06
			653	0.14
			654	0.14
			655	0.33
			656	0.38
			657	0.52
			658	1.10
			659	0.07
			660	0.07
			661	0.17
			662	0.18
			663	0.12
			664	0.14
			665	0.03
			666	0.13

136
(29)

1	2	3	4	5
मुरादाबाद	मुरादाबाद	धीमरी	667	0.12
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	668	0.12
Moradabad	Moradabad	Dhimri,	669	0.17
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	670	1.09
			671	0.99
			673	1.06
			674 मी०	1.07
			675 मी०	0.10
			714 मी०	0.70
			715	0.31
			716	0.16
			717	0.12
			718	0.09
			719	0.09
			720	0.20
			721	0.04
			722	0.07
			723	0.14
			724	0.15
			725	0.15
			726	0.17
			727	0.15
			728	0.06
			729	0.05
			730	0.03
			769 मी०	0.03
			770 मी०	0.03
			775 मी०	0.01
			776 मी०	0.01
			777 मी०	0.02
			778	0.10
			779	0.05
			780	0.05
			781	0.05
			782	0.05
			783	0.05
			785	0.22
			786	0.23
			787	0.29
			788	0.27
			789	0.17
			790	0.28
			791	3.10

1	2	3	4	5
मुरादाबाद (समाप्त)	मुरादाबाद (समाप्त)	धीमरी (समाप्त)	792 793	0.08 0.05
Moradabad (Concl.)	Moradabad (Concl.)	Dhimri. (Concl.)	794 795 796 797 798 मी० 799 मी० 800 मी० 803 मी० 820 मी० 828	0.21 0.10 0.13 0.46 0.16 0.06 0.08 0.10 0.28 1.79
			योग 176 Total 176	64.64 एकड़ 64.64 Acres (26.17 हे०) (26.17 ha.)

किरी प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:— सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम धीमरी, परगना व तहसील व जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिए आवश्यकता है।

For what purpose required:—For the establishment of Transport Nagar under Planned Development Scheme in Village Dhimri Pargana, Tehsil and district Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad.

नोट:—भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, मुरादाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE:—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Moradabad.

आज्ञा से,
एस० डी० बागला,
सचिव।

By order,
S.D. BAGLA,
Sachiv.

332

To.

V.C.

M.D.A.

संख्या १०

ट्रान्सपोर्ट नगर

6/17

145
28

क्रमांक-संख्या-309

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-४

लाइसेंस सं० डब्ल्यू० पी०-41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विडाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 18 अप्रैल, 1988

चैत्र 29, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-1261/11-5-88-139 एल० ए०-87

लखनऊ, 18 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

पृ० आ०-222

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या 97/11-5-88-139 एल० ए०-87 दिनांक 27 जनवरी 1988 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम धीमरी परगना व तहसील व जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की स्थापना के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुरादाबाद के कलेक्टर को निदेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

2--चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला ग्रात्ययिक है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (1-क) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनियम नहीं दिया गया है, मुरादाबाद के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा, धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अन्तर्गत कर सकते हैं।

नोट-विज्ञापित में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ दी जा रही है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1261/XI-5-88-139 LA-87 dated April 18, 1988.

No. 1261/XI-5-88-139 LA-87

Lucknow Dated April 18, 1988

IN continuation of Government notification no. 97/XI-5-88-139 LA-87 dated January 27 1988 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the schedule below is needed for a public purpose, namely for the establishment of Transport Nagar Scheme in village Dimri, Pargana, Tehsil and District Moradabad under planned development scheme by the Moradabad Development Authority, Moradabad and under section 7 of the said Act, to direct the Collector of Moradabad to take order for the acquisition of the said land.

2. THE GOVERNOR, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) and (1-A) of Section 17 of the said Act to direct that the Collector of Moradabad, though no award under section 11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from the publication of notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाले गाटे का क्षेत्रफल एकड़ में
District	Pargana and Tehsil	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5
मुरादाबाद Moradabad	मुरादाबाद Moradabad	धीमरी Dhimri	492 मी०	0.10
			493	0.11
			494	0.14
			495	0.20
			496	0.19
			497	0.13
			498	0.10
			499 मी०	0.06
			500 मी०	0.12
			501 मी०	0.52
			544 मी०	0.88
			546 मी०	0.18
			551 मी०	0.15
			552 मी०	0.76
			553 मी०	0.13
			555 मी०	0.23
			556 मी०	0.70
			557	0.19
			558	0.18
			559	0.31
560	0.17			
561	0.15			
562	0.63			
563	0.50			
565	1.46			
566	0.35			
502 मी०	0.02			
	0.97			

25

27/11

198

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 अप्रैल, 1988

1	2	3	4	5
मुरादाबाद (क्रमशः)	मुरादाबाद (क्रमशः)	धौमरी (क्रमशः)	569	0.81
Moradabad	Moradabad	Dhimri	570	0.68
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	571	0.56
			572	0.31
			573	0.32
			574	0.35
			575	0.15
			576 मी०	0.10
			577 मी०	0.02
			578 मी०	3.22
			579	0.65
			580	0.19
			581	0.37
			582	0.44
			583	0.62
			584	1.40
			585	0.11
			586	0.15
			587	0.19
			588	0.13
			589	0.11
			590	0.42
			591	0.11
			592	0.13
			593	0.13
			594	0.12
			595	0.19
			599 मी०	0.08
			601	0.05
			602	0.12
			603	0.42
			604	0.22
			605	0.08
			606	0.08
			607	0.26
			608	0.88
			609	0.08
			610	2.25
			611	1.69
			612	1.06
			613	1.05
			614	0.20
			615	2.23
			616	1.06
			617	0.83
			618	0.18
			619	0.44
			620	0.07
			621	1.63
			622	1.14
			623	1.84
			624	0.73
			625	

1	2	3	4	5
मुरादाबाद (क्रमशः)	मुरादाबाद (क्रमशः)	धीमरी (क्रमशः)	626	0.38
Moradabad (Contd.)	Moradabad (Contd.)	Dhimri (Contd.)	627	0.48
			628	0.24
			629	0.38
			630	0.78
			631	0.44
			632	0.07
			633	0.06
			634	0.07
			635	0.05
			636	0.08
			637	0.03
			638	0.03
			639	0.08
			640	0.04
			641	0.07
			642	0.09
			643	0.07
			644	0.05
			645	0.05
			646	0.03
			647	0.16
			648	0.17
			649	0.20
			650	0.14
			651	0.05
			652	0.06
			653	0.14
			654	0.14
			655	0.33
			656	0.38
			657	0.52
			658	1.10
			659	0.07
			660	0.07
			661	0.17
			662	0.18
			663	0.12
			664	0.14
			665	0.03
			666	0.13
			667	0.12
			668	0.12
			669	0.17
			670	1.09
			671	0.99
			673	1.06
			674 मी०	1.07
			675 मी०	0.10
			714 मी०	0.70
			715	0.31
			716	0.16
			717	0.12

उत्तर प्रदेश विचारण गजट, 18 अप्रैल, 1988

1	2	3	4	5
मुरादाबाद (क्रमशः)	मुरादाबाद (क्रमशः)	धीमरी (क्रमशः)	718	0.09
Moradabad (Contd.)	Moradabad (Contd.)	Dhimri (Contd.)	719	0.09
			720	0.20
			721	0.04
			722	0.07
			723	0.14
			724	0.15
			725	0.15
			726	0.17
			727	0.15
			728	0.06
			729	0.05
			730	0.03
			769 मी०	0.03
			770 मी०	0.03
			775 मी०	0.01
			776 मी०	0.01
			777 मी०	0.02
			778	0.10
			779	0.05
			780	0.05
			781	0.05
			782	0.05
			783	0.05
			785	0.22
			786	0.23
			787	0.29
			788	0.27
			789	0.17
			790	0.28
			791	3.10
			792	0.08
			793	0.05
			794	0.21
			795	0.10
			796	0.13
			797	0.46
			798 मी०	0.16
			799 मी०	0.06
			800 मी०	0.08

1	2	3	4	5
मुरादाबाद-(समाप्त)	मुरादाबाद-(समाप्त)	धीमरी-(समाप्त)	803 मी०	0.10
Moradabad (Concl'd.)	Moradabad (Concl'd.)	Dhimri (Concl'd.)	820 मी०	0.28
			828	1.79
		योग ..	176	64.64 एकड़
		Total ..		(26.17 हे०)

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-- सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम धीमरी, परगना तहसील व जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिये आवश्यकता है।

For what purpose required—For the establishment of Transport Nagar Scheme under planned development scheme in village Dhimri Pargana, Tehsil and District Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad.

टिप्पणी-- भूमि का स्थल नक्शा कलक्टर, मुरादाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE : A site plan of the Land may be inspected in the office of the Collector, Moradabad.

अज्ञा से,
एस० डी० बागला,
सचिव।

By order,
S. D. BAGLA,
Sachiv.

(2)

(20)

553	5-14	50	10
555	2-27	540	0-42
556	0-50	591	0-11
557	1-46	592	0-00
558	0-35	593	0-13
559	0-02	594	0-12
560	0-27	595	0-19
561	0-27	599	0-00
562	0-01	601	0-05
563		602	0-12
564		603	0-42
565		604	0-22
566		605	0-00
567		606	0-00
568		607	0-26
569		608	0-00
570		609	0-00
571		610	2-25
572		611	1-60
573		612	7-06
574		613	1-05
575		614	0-29
576		615	2-23
577		616	1-66
578		617	0-03
579		618	0-10
580		619	0-44
581		620	0-07
582		621	1-63
583			
584			
585			
586			
587			
588			
589			
590			
591			
592			
593			
594			
595			
596			
597			
598			
599			
600			
601			
602			
603			
604			
605			
606			
607			
608			
609			
610			
611			
612			
613			
614			
615			
616			
617			
618			
619			
620			
621			
622			
623			
624			
625			
626			
627			
628			
629			
630			
631			
632			
633			
634			
635			
636			
637			
638			
639			
640			
641			
642			
643			
644			
645			
646			
647			
648			
649			
650			
651			
652			
653			
654			
655			
656			
657			
658			
659			
660			
661			
662			
663			
664			
665			
666			
667			
668			
669			
670			
671			
672			
673			
674			
675			
676			
677			
678			
679			
680			
681			
682			
683			
684			
685			
686			
687			
688			
689			
690			
691			
692			
693			
694			
695			
696			
697			
698			
699			
700			
701			
702			
703			
704			
705			
706			
707			
708			
709			
710			
711			
712			
713			
714			
715			
716			
717			
718			
719			
720			
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			
741			
742			
743			
744			
745			
746			
747			
748			
749			
750			
751			
752			
753			
754			
755			
756			
757			
758			
759			
760			
761			
762			
763			
764			
765			
766			
767			
768			
769			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
776			
777			
778			
779			
780			
781			
782			
783			
784			
785			
786			
787			
788			
789			
790			
791			
792			
793			
794			
795			
796			
797			
798			
799			
800			

79 37-07

1-60
2
2
5

7-06
1-05
0-29
2-23
1-66
0-03
0-10
0-44
0-07
1-63
2
14
11

1-14

13 (2)

3

109
2010/11/20

44-31
2009/1

37-07	2009/1
1-09/1	
0-73	
0-32	
0-30	
0-40	
0-24	
0-30	
0-70	
0-44	
0-07	
0-06	
0-07	
0-05	
0-00	
0-03	
0-03	
0-00	
0-04	
0-07	
0-09	
0-07	
0-05	
0-05	
0-03	
0-16	24
0-17	
0-20	
0-13	
0-05	
0-06	
109	45-35

653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
673
674
675
714
715
716
717
718
719
720
130

0-13
0-14
0-33
0-30
0-52
1-10
0-07
0-07
0-17
0-10
0-12
0-14
0-03
0-13
0-12
0-12
0-12
0-12
1-09
0-99
1-06
1-07
0-10
0-70
0-31
0-16
0-12
0-09
0-09
0-20

130
P.T. 1

54-22

309
 11-11
 11-11
 11-11
 11-11
 11-11
 11-11
 11-11

309

130
150000

54.22
20091

④ 166
290070

12-17
20091

721 0-04
 722 0-07
 723 0-14
 724 0-15
 725 0-15
 726 0-17
 728 0-06
 729 0-05
 730 0-03
 769 0-03
 770 0-03
 775 0-01
 776 0-01
 777 0-02 ✓
 778 0-10
 779 0-05
 780 0-05
 781 0-05
 782 0-05
 783 0-05 ✓
 785 0-22
 786 0-23 ✓
 787 0-29
 788 0-27
 789 0-17 ✓
 790 0-20
 791 3-10 ✓
 792 0-00
166
60-17

793
794
795
796
797
798
799
800
803
8020
8020
177

0-05
0-21
0-10
0-13 ✓
0-46 ✓
0-16
0-06
0-00
0-10 ✓
0-20
1-79
63-59
P-05

20/6/09
20/6/09
20/6/09

494/2 0-04
592/1 0-05
727 0-15
611 0-01

0-25
0-25

20/6/09
20/6/09
20/6/09

482

अभिनिर्णय

- 1- जप्तद का नाम मुरादाबाद ।
- 2- परगना व तहसील मुरादाबाद ।
- 3- ग्राम का नाम धीमरी 64-64 एक्ट ।
- 4- अर्जन निकाय का नाम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
- 5- अर्जन का प्रयोजन जिला मुरादाबाद में सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम धीमरी परगना/ तहसील मुरादाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिये ।
- 6- क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है । हाँ ।
- 7- क्या धारा-17(1) लागू है । हाँ ।
- 8- विज्ञप्ति धारा-4(1) की सं० तथा दिनांक संख्या-97/11-5-88-139-एल०ए०-87 दिनांक 27-1-88 गजट के स्थानीय प्रकाशन का दिनांक 17-2-88
- 9- विज्ञप्ति धारा-6(1) की सं० तथा दिनांक संख्या-1261/11-5-88-139एल०ए०/87 दिनांक 18-4-88 स्थानीय समाचार पत्र का दि० 14-8-88 तथा 16-8-88
- 10- कब्जे का दिनांक 20-6-89
- 11- अभिनिर्णय का दिनांक 17-08-1990
- 12- अनुमानित प्रतिकर की धराराशि विभाग द्वारा इस परियोजना से लिये 20 लाख रुपया अनुमानित जमा किया गया है । अतिरिक्त धन की मांग हेतु विभाग को मांग पत्र भेज दिया गया है धन देने हेतु सहमति प्रदान कर दी है । भूमि वर्तमान में केवल कृषि की भूमि है ।
- 13- क्या भूमि भावन्धिक क्षमता रखती है ।
- 14- घोषित योग्य प्रतिकर की धराराशि

1- कृषि दर से	शून्य
2- अन्य दर से	52,69,596-04
3- सम्पत्ति मू०	79,232-00
4- सोलैरिज़म	16,04,648-40
योग	69,53,476-44
- 5- धारा-4 के दि० 17-2-88 से कब्जे के दि० 20-6-89 तक 1 वर्ष 4 माह 3 दिन का 12 प्रतिशत की दर से -

योग	8,61,161-30
------------	--------------------
- 15- ब्याज: 5 भू-स्वामियों का कब्जे के दि० 20-6-89 से प्रतिकर के दिनांक तक नियमानुसार ब्याज देय होगा ।
- 16- पूँजीकरण मूल्य की धराराशि 32,590-80 पे० देय भू-राजस्व के 40 गुने से बराबर अर्जन निकाय से वसूल करके उचित मद् में जमा की जायेगी ।
- 17- प्रतिकर की धराराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अर्जन निकाय से वसूल हेतु उचित मद् में रु० 7,81,463-77 जमा किया जायेगा ।

रजि. नं०

उपरोक्त विषयक भू-उर्जन प्रस्ताव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा धारा-1781 के प्राविधान लागू करते हुए प्रस्तुत किया गया था भूमि अध्या-
-प्त अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रस्ताव में विधि धारा-481 का प्रकाशन
दिनांक 27-1-88 एवं धारा-681 का प्रकाशन दिनांक 18-2-88 के राजपत्र
में हो चुका है। शासनादेशों के अन्तर्गत विधि धारा-481 व 681 का
प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में भी करा दिया गया है। तथा भूमि अध्या-
-प्त अधिनियम अधोक्ष के अन्तर्गत भू-स्वामियों को उनकी जानकारी के
लिए समाचार पत्रों में विधि धारा-481 के प्रकाशन के उपरान्त पब्लिक नोटिस विधि
-क्त धारा-481 एवं धारा-681 के जारी किये गये हैं। जिस पर विधि
सूचना पाने पर भी अधिकारी कारतदारों द्वारा हस्ताक्षर व निशानी लगा
लाने से इनकार किया है।

धारा-23 के अन्तर्गत अब यह गूढ़ तत्व है कि भूमि की बाजारी कीमत
आंकी जाये इस के लिये भू-स्वामियों को धारा-981 83 के सामान्य तथा
विशेष नोटिस जारी किये गये जिन्की विधिवत तामील कराई गई है। भूमि
की बाजारी कीमत जानने के लिये मैंने सख-रजिस्टार कार्यालय में निष्पादित
कि य-पत्रों को अमीन द्वारा संकलित कराया है। जिन्का विवरण पत्रावली
में उपलब्ध अनुसूची-2 में अंकित है। धारा-981 83 के नोटिस के तामील के
उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्दर स्वामी बाबू राम पुत्र श्री जीराम निवासी
ग्राम लालपुर ने आपत्ति की है कि मुझे 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान
किया जाये श्री तोला पुत्र काशी राम ने भी एक आपत्ति दिनांक 23-8-88
को की है जिसमें उसने कहा है कि उसने अपनी जमीन श्री बाबू राम पुत्र जी
राम को बेव दी है साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा स-पत्र तथा वेनामें की फोटो
कापी भी दाखिल की गई है। श्री रमेश पुत्र रामचन्द्र नि० धीमरी ने दि०
23-8-88 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि राम चन्द्र
पुत्र छामानी के स्थान पर उसके लड़के रमेश पुत्र रामचन्द्र तौर वारिस दल
हो गया है श्री रामचन्द्र पुत्र छामानी का नाम नाजायत तौर से घला आ
रहा है अतः श्री रामचन्द्र पुत्र छामानी का नाम वारिस करके श्री रमेश
पुत्र रामचन्द्र को प्रतिकर दिया जाये साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा उद्धरण छामानी
की फोटो कापी दाखिल की गई है। श्री वल्लभ पुत्र डोरी लाल द्वारा
दिनांक 23-8-88 को यह आपत्ति की गई है कि ग्राम धीमरी में चकबन्दी च
चल रही है और उनके गाँव की जमीनों का मूल्य 300/= व 400/= 80 गज
के मूल्य पर वेनामों की रजिस्ट्री की जा रही है लिहाजा हमें 300/= 80 गज
के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये। श्री मौ० शमीम पुत्र अब्दुल वहीद शा
बादि ने दिनांक 23-8-88 को एक आपत्ति प्रस्तुत की है कि हमें सूत्र
दाखिल करने के लिये 15 दिन का समय दिया जाये प्रार्थी को दि० 12-9-88
तक का समय दिया गया। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रार्थी द्वारा उजरदारी,
नकल वेनामा, नकल ब्याज हल्की तथा एक फेरिस्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की
है। प्रार्थी की उजरदारी पर विचार किया गया अपनी उजरदारी में उन्हें
600/= 80 प्रतिवर्ष मोटर के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है तथा उनकी
भूमि पर जो उनके पेड़ है उनकी कीमत 30,000/= मांगी है। नियमानुसार
प्रार्थी को बाजारी कीमत पर भूमि का मूल्य दिया गया है तथा सम्पत्ति का
मूल्य सक्षम अधिकारियों से निर्धारित कर दिया गया है। उपरोक्त आपत्ति
कर्तव्यों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के उपरान्त उन्हें नियमानुसार
निर्णित कर दिया गया है।

दिनांक 14-12-88 को सर्वश्री धवने अजी पुत्र पिटा हुसेन, भीटा धवने अजी पुत्र पिटा हुसेन, श्री बलवा पुत्र कल्लु उर्फ कल्लन, श्री वीरेन्द्र न सुरजीत सिंह आदि ने आपत्ति की है कि प्रश्न गत भूमि जो उन्होंने व प्रार्थना-पत्र में दिगाई है उसे उन्होंने ब्य कर लिया है साक्ष्य के रूप में वेनामों की फोटो स्टेट कापी भी दाखिल की है और निवेदन किया है कि भूमि का प्रतिकर हों दिया जाये इसके लिये निम्नानुसार यदि अमल दरामद की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी होगी तब उन्हें प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा ।

श्री श्यामसिंह, विजयपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, श्री राम स्वरूप पुत्र घेतराम सुरजीत पुत्र मंगली आदि, गजराम, अमरसिंह पुत्र वीर सहाय, हौरी, ओमप्रकाश पुत्र नैतराम आदि, बन्धार हुसेन पुत्र पिटा हुसेन, राम भारते, रामचन्द्र पुत्र वावुराम श्री विहारी लाल पुत्र झुन सरन हौरी, ओमप्रकाश व मानसिंह, विहारी लाल पुत्र झुन सरन श्री रवि कुमार सिंगल रावेषा सिंगल आदि, श्रीमति सुदेश धवन पत्नी श्री बलदेव राज धवन कुन्त सिंह, मुन्नी लाल आदि जाहिद हुसेन पुत्र अजिद हुसेन, श्रीमति कमला पत्नी धर्मवीर सिंह श्रीमति अजिया पत्नी जाहिर सिंह, गुलजार अहमद, अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल मजीद आदि, श्री कुन्दन पुत्र घोसी, नरहराम पुत्र श्री देवीसरन, गंगादेई पत्नी देवीसरन, आकाक हुसेन पुत्र रामाक हुसेन, श्याम लाल पुत्र सुमेरा, सरदार मोहर सिंह, हरनाम दास प्रावला, जोगेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह, ठाकुर सिंह पुत्र जगतसिंह, सरदार अवतार सिंह केवल पुत्र रामसुजा, मा० अतीक, कमरुन एल्लाम ने भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये है इन सभी कारकर्तारों के प्रार्थना-पत्र एवं आपत्तिये कलातीत हैं । जिन पर निम्नानुसार विचार नहीं किया जा सकता है अतः स्मस्त आपत्तियां निरस्त की जाती है ।

भूमि का सही मूल्यांकन करने के लिये जो वेनामें इस ग्राम निष्पादित हुये है और अमीन द्वारा सब-रजिस्टार कार्यालय में संमिलित किये गये है । उन पर विचार किया गया प्रश्नात ग्राम धीमरी में वर्ष 1987 से वर्ष 1988 तक कुल 55 वेनामों का निष्पादित होना पाया गया है । मैंने अर्जित की जाने वाली भूमि का स्थल निरीक्षण किया जो पत्रावली में संलग्न है । अनुसूची-2 में धकित विजय-पत्र तथा नब्शा नजरी पर गहराई है से विचार किया जिसको देखने से स्पष्ट होता है कि विजय पत्र संख्या- 1, 2, 3, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, तथा 41 अर्जित की जाने वाली भूमि से दूर है । परिणाम स्वरूप अर्जित की जाने वाली भूमि तथा विजय पत्रों वाली भूमि में समानता नहीं है । और पूर्व उर्वरता शक्ति में भी समानता नहीं है । समान उपादेयता शक्ति न होने के कारण इन विजय-पत्रों के आधार पर अर्जित की जाने वाली भूमि का सही सही बाजारी मूल्य नहीं निकल सकता है अतः उपरोक्त विजय-पत्रों को मिसाली वेनामा नहीं माना जा सकता है तदनुसार निरस्त किये जाते है । विजय पत्र सं० 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 31, 32, 38, 39, 42, 45, 48, से 54 तक के विजय पत्रों का निष्पादन का मीटरों में किया गया है । जबकि अर्जित की जाने वाली भूमि वर्तमान समय में कृषि की भूमि है और भूस्वामी इस भूमि कोष कृषि के प्रयोग में आ रहे है । इसके अतिरिक्त इन विजय-पत्रों में गाटा संख्यामें भी धकित नहीं है इसलिये इन विजय-पत्रों को आधार नहीं माना जा सकता है । अतः निरस्त किये जाते हैं ।

अब मेरे समक्ष केवल वेनामा नम्बर 43, 44, 46, 47 एवं 55 शेष रह जाते है जिसमें से वेनामा नम्बर 55 की अस्त दर बहुत कम है यह दर मेरे एवाधिकारी द्वारा 80 अर्जित हेतु जो विजय-पत्र चयन किया गया था उस

की दर से भी बहुत कम है इसलिये इस विक्रय पत्र को भाग्य
 चयन करना न्याय संगत नहीं है। वेनामा नम्बर 43 की बोस्त दर
 की अनुसूची में अंकित है 50 हजार रुपये प्रति एकड़, वेनामा नम्बर 44 का
 बोस्त दर 76,470-59 पैसे, वेनामा नम्बर 46 की बोस्त दर 1 लाख
 31 हजार रुपये तथा वेनामा नम्बर-47 की बोस्त दर 69 हजार रुपये बात
 है। परन्तु वेनामों में विक्रय की गई भूमि की किस्म जमीन क्रमशः धनकड़
 दौयम, दुमट सौयम, धनकड़ प्रथम, दुमट दौयम है भूमि जो अध्यापिका को प्रा
 रणी है उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल दुमट दौयम का 28-85 एकड़ है इसके
 बाद धनकड़ प्रथम का 14-73 दुमट सौयम का 11-37, धनकड़ दौयम का
 4-88 तथा दुमट प्रथम का 1-31 एकड़ है। वेनामा नम्बर 43 तथा 47 के
 विक्रय पत्रों की भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात से
 बहुत कम है इसलिये इन दोनों विक्रय पत्रों को भी चयन करना न्याय
 संगत है तदनुसार निरस्त किया जाता है।

वेनामा नम्बर 46 जो दिनांक 15-1-87 को शम्बीर ने आदेश
 फारवार्डिंग कम्पनी रामपुर के हक में किया है जिस का क्षेत्रफल केवल
 0-16 डिग्री 21,000-00 रु में लिया है जिसकी बोस्त दर 1,31,250/-
 आती है तथा इसकी किस्म जमीन भी दुमट दौयम है तथा अर्जित क्षेत्रफल
 में भी अधिक है परन्तु मैंने जब स्थल का निरीक्षण किया तब मैंने यह धारणा
 कि अर्जित भूमि काफी नीची तथा उड़ी है। और कृपा से मालूम करने
 पर पता चला कि यहाँ पर भूमि का मूल्य इतना अधिक नहीं है। जितना
 इस वेनामों में लिखा है। यह वेनामा जानबूझ कर अर्जित दर पर इसलिये
 कराया गया है कि उन्हें शायद यह आभास हो गया था कि यह भूमि
 विकास प्राधिकरण अर्जित कर रहा है। अतः इस वेनामों को भी आधार
 मानना न्याय संगत नहीं है अतः निरस्त किया जाता है।

अब मेरे समक्ष केवल वेनामा नम्बर 44 जो दिनांक 7-12-87 को
 निष्पादित हुआ है और जिसकी किस्म जमीन धनकड़ प्रथम है जो कि अर्जित
 की जाने वाली भूमि में क्रमशः दो पर आती है। यह वेनामा श्री विरान
 पुत्र फकीरा ने अपने गाटा संख्या-643, 644, 645 रकवा 17 डिसेमिल का
 13,000/- में श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र फकीरा के पक्ष में क्य किया है इस के
 अनुसार दर प्रति एकड़ 76,470-59 पैसे धनकड़ प्रथम की आती है। दोनों
 भूमि में समान उपादेयता शक्ति है इसलिये इस विक्रय पत्र को ही मैं सिसाल
 ली मानने के लिये चयनित करते हुये अर्जित की जाने वाली भूमि, विभिन्न
 भू-श्रेणियों का मूल्य उनके सर्किल रेट के अनुपात में निम्नलिखित तालिका
 में अंकित करके निर्धारित करता हूँ।

किस्म जमीन	परता बन्दो	क्षेत्रफल दर/एकड़	प्रगणित प्रतिफल
धनकड़ दौयम	3-75	4-28	51,025-75
दुमट दौयम	5-00	11-37	68,034-33
दुमट दौयम	7-50	28-85	1,02,051-49
दुमट प्रथम	9-87	1-31	1,34,299-77
धनकड़ प्रथम	5-62	14-73	76,470-59
<u>श्रेणी-3</u>			
दुमट दौयम	7-50	3-05	1,02,051-49
			का 1/10 भाग
योग		63-59	52,69,596-04

5
 र. ग. ग.